न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (कोर्ट नं0–1)/विशेष न्यायाधीश द0प्र0क्षे0 अधिनियम, महोबा

पीठासीन अधिकारी– ध्रुव राय, (एच0जे0एस0)

UPMB010018452018

विशेष वाद संख्या–52/2018
सी०एन०आर० नं०–UPMB010018452018
सरकार बनाम विन्दोला उर्फ विन्दादीन

उत्तर प्रदेश राज्य ------------अभियोजन पक्ष

बनाम

विन्दोला उर्फ विन्दादीन उर्फ सूरज शर्मा उर्फ बाबा पुत्र मंगी प्रजापति निवासी खन्ना, थाना खन्ना, जिला महोबा, उ०प्र०। ----------अभियुक्त।

अपराध संख्या–54/2018
धारा–174 ए भा०दं०सं०
थाना–खन्ना, जिला महोबा

राज्य की ओर से अधिवक्ताः- **श्री तेज प्रताप पचौरी, अपर जिला शासकीय अधिवक्ता।**

अभियुक्तगण की ओर से अधिवक्ताः- **श्री मदन कुमार राजपूत, एडवोकेट।**

प्रकरण से सम्बन्धित विवरण संक्षेप में

घटना दिनांक	30.01.2018	समय	01:30 बजे रात्रि
प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक	17.05.2018	समय	20:15 PM
अभियुक्त की गिरफ्तारी दिनांक	08.06.2018	समय	01:30 बजे
प्रकरण संस्थापना दिनांक		03.08.2018	
न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत करने का दिनांक		06.09.2018	
न्यायालय द्वारा संज्ञान लेने का दिनांक		06.09.2018	
आरोप विरचित होने का दिनांक		03.07.2019	

अभियोजन साक्षीगण का विवरण

साक्षी क्रमांक	साक्षी का नाम	साक्ष्य दिनांक	साक्षी का प्रकार चक्षुदर्शी/अनुश्रुत/ पीड़ित
पी०डब्लू०–1	उपनिरीक्षक रमाकान्त शुक्ल	04.08.2025	वादी मुकदमा
पी०डब्लू०–2	रमेश सिंह चौहान	09.09.2025	साक्षी
पी०डब्लू०–3	हेड कां० अखिलेश सिंह	09.09.2025	साक्षी

बयान मुल्जिम अन्तर्गत धारा-313 दं०प्र०सं० दिनांक	19.03.2026

बचाव साक्षीगण का विवरण

अभियुक्त द्वारा सफाई साक्ष्य देना व्यक्त किया किया गया।

बहस दिनांक	22.07.2026, 27.07.2026
निर्णय दिनांक	29.07.2026
दण्डादेश दिनांक	31.07.2026
निस्तारण की समय अवधि	07 वर्ष 11 माह 28 दिन

निर्णय

1. अभियुक्त अभियुक्त बिन्दोला उर्फ बिन्दादीन उर्फ बाबा उर्फ सूरज शर्मा का विचारण विवेचक द्वारा अन्तर्गत धारा 174 ए भा0 दं0 सं0 प्रेषित आरोप पत्र प्रदर्श क–2 के आधार पर सुनिश्चित किया जा रहा है।

2. अभियोजन कथानक का संक्षेप सार इस प्रकार है कि फरियादी उपनिरीक्षक रमाकान्त शुक्ल द्वारा सम्बन्धित थाना–खन्ना, जिला महोबा पर लिखित तहरीर प्रदर्श क–1 प्रस्तुत करते हुए दिनांक 17.05.2018 को समय 20.15 बजे प्रथम सूचना रिपोर्ट इस आशय की दर्ज करायी गयी कि श्री कुलदीप मिश्र पुत्र वीरेन्द्र कुमार मिश्र निवासी सिरसीकलां, थाना खन्ना, जनपद महोबा की लिखित तहरीर पर मु०अ०सं०–13/2018 धारा–394 भा०दं०सं० बनाम चार बदमाश अज्ञात दिनांक–30.01.2018 को पंजीकृत होकर उक्त अभियोग की विवेचना फरियादी द्वारा सम्पादित की गयी। दौरान विवेचना 3 बदमाश (1) **जगदीश पुत्र श्यामलाल निवासी** मवई बुजुर्ग थाना कोतवाली नगर बांदा, (2) मुन्ना प्रजापति पुत्र चुनुवाद निवासी मवई बुजुर्ग कोतवाली नगर बांदा, (3) भूपेन्द्र उर्फ भूरा पुत्र झुरिया प्रजापति निवासी सिरसीकलां, थाना खन्ना, जिला महोबा दिनांक–

08.02.2018 को माल मसरूका व वादी के भाई लूटा हुआ मोबाईल तथा लूट में प्रयुक्त **प्रत्येक के पास कब्जे से एक–एक अदद तमंचा 315 बोर नाजायज व कारतूस बरामद हुआ। माल मसरूका में रूपये व जेवरात बरामद हुए। बरामद जेवरात को पीड़िता विमला मिश्रा ने पहचाना तथा स्वयं का होना बताया तथा वादी मुकदमा एवं पीड़ितों ने मुन्ना व जगदीश को पहचाना** और उन्हीं को अन्य दो साथियों सहित घर में घुसकर लूटपाट करने तथा मारने पीटने की बात बताई। **दौरान विवेचना अभियुक्त बिन्डौला उर्फ विन्दादीन उर्फ सूरज शर्मा** उर्फ बाबा पुत्र मंगी प्रजापति निवासी खन्ना, थाना खन्ना, जिला महोबा तथा अभियुक्त छंगा बल्दियत व पता अज्ञात का **नाम प्रकाश में आये।** अभियुक्त विन्डौला उर्फ विन्दादीन उपरोक्त की गिरफ्तारी का प्रयास किया गया, परन्तु दस्तयाव नहीं हुआ। अभियुक्त विन्दौला उर्फ विन्दादीन उपरोक्त के विरूद्ध न्यायालय से दिनांक–**12.03.2018 को एन०बी०डब्लू० तथा दिनांक–20.03.2018 को 82 दं०प्र०सं० निर्गत हुई तथा दिनांक–25.03.2018 को धारा–82 दं०प्र०सं० का तामीला कराया जा चुका है, अर्थात् विधिक प्रक्रिया पूर्ण करायी जा चुकी है।** अभियुक्त उपरोक्त इश्तिहार जारी होने के पश्चात् न्यायालय में हाजिर होने से असफल हो रहा है। अभियुक्त उपरोक्त की तलाश में समय बर्बाद होता है। कार्य सरकार प्रभावित होता है। **अभियुक्त विन्डौला उर्फ विन्दादीन हार्ड कोर अपराधी है। इसके विरूद्ध दर्जनों आपराधिक मामलें दर्ज हैं एवं रूपये 25000/– का इनाम घोषित है तथा थाना स्थानीय है तथा थाना स्थानीय का एच०एस० नं०–1 है। अभियुक्त उपरोक्त स्वयं की हत्या का साजिश रचकर पुलिस रिकारिड में अपने को मृत घोषित कर आम समाज में संगीन जुर्म कारित कर अशान्ति पैदा कर रहा है।** थाना मौदहा हमीरपुर में मुकदमा अपराध संख्या–596/2015 धारा–302/201 भा०दं०सं० बनाम भगवानदीन आदि **अभियुक्त विन्डौला उर्फ विन्दादीन की हत्या होने के बावत उसके बड़े भाई हरिदास पुत्र मंगी प्रजापति निवासी थाना खन्ना महोबा में दिनांक–16.05.2015 को पंजीकृत कराया था।** तमामी विवेचना विन्डौला उर्फ विन्दादीन के जीवित होने तथा दिनांक–30.01.2018 को **मुकदमा अपराध संख्या–13/2018 धारा–394 भा०दं०सं० का अभियुक्त होने के कई पुष्टिकारक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं।** बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा–411/120बी भा०दं०सं० की बढोत्तरी दिनांक–08.02.2018 को की गयी है, अर्थात् अब मुकदमा उपरोक्त की धारा–394/411/120बी भा०दं०सं० है। **अतः अभियुक्त विन्डौला उर्फ बिन्दादीन उर्फ सूरज शर्मा उर्फ बाबा पुत्र मंगी प्रजापति निवासी थाना खन्ना महोबा धारा–174क भा०दं०सं० का अपराध कर रहा है। अतः अभियुक्त के विरूद्ध धारा–174क भा०दं०सं० का अभियोग पंजीकृत करने की कृपा करें।** मुकदमा उपरोक्त की घटना दिनांक–30.01.2018 समय 00.30 से 01.30 बजे की है।

3. फरियादी उपनिरीक्षक रमाकान्त शुक्ल द्वारा प्रस्तुत तहरीर प्रदर्श क–1 के आधार

पर थाना खन्ना, जिला महोबा पर मु०अ०सं० 54/2018 अन्तर्गत 174ए भा०दं०सं० विरुद्ध अभियुक्त बिन्दोला उर्फ बिन्दादीन उर्फ सूरज शर्मा उर्फ बाबा दर्ज किया गया जिससे सम्बन्धित चिंक एफ०आई०आर० प्रदश क–3 है तथा मुकदमें का खुलासा उसी दिनांक को नकल रपट संख्या 28 समय 20:15 पर किया गया जिससे सम्बन्धित कायमी जी०डी० प्रदर्श क–4 है।

4. प्रकरण में विवेचना प्रारम्भ हुई। अभियोजन साक्षियों के बयान अंकित किये गये। विवेचक द्वारा विवेचना की कार्यवाही करते हुए अभियुक्त बिन्दोला उर्फ बिन्दादीन उर्फ बाबा उर्फ सूरज शर्मा के विरूद्ध आरोप पत्र अन्तर्गत धारा 174ए भा0 दं0 सं0 प्रेषित प्रदर्श क–2 विचारण हेतु न्यायालय प्रेषित किया गया।

5. अभियुक्त के न्यायालय आहूत होने पर उसे धारा–207 दं०प्र०सं० के अन्तर्गत अभियोजन प्रपत्रों की प्रतिलिपियां उपलब्ध करायी गयीं।

6. पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा अभियुक्त पर आरोप विरचित करने के पर्याप्त आधार पाते हुए दिनांक–03.07.2019 को अभियुक्त बिन्दादीन उर्फ बिन्डोला उर्फ बाबा उर्फ सूरज शर्मा के विरुद्ध आरोप अन्तर्गत धारा–174ए भा०दं०सं० आरोप विरचित किये गये। अभियुक्त द्वारा अपने ऊपर लगाये गये आरोपों से इंकार किया तथा विचारण चाहा।

7. अभियोजन पक्ष की ओर से अपने पक्ष के समर्थन में साक्षी पी०डब्लू०–1 उपनिरीक्षक रमाकान्त शुक्ल, पी०डब्लू०–2 एस०आई० रमेश सिंह चौहान, पी०डब्लू०–3 हेड कां० अखिलेश सिंह की साक्ष्य अंकित करायी गयी है। अन्य कोई साक्ष्य अंकित नहीं करायी गयी।

8. अभियोजन साक्षियों द्वारा जो दस्तावेज व वस्तु प्रदर्श साबित किये गये हैं, उसका विवरण निम्न प्रकार है–

क्र०सं०	दस्तावेज/वस्तु प्रदर्श	प्रदर्श	साक्षी का नाम
1	तहरीर	प्रदर्श क–1	पी०डब्लू०–1 उपनिरीक्षक रमाकान्त शुक्ल
2	आरोप पत्र	प्रदर्श क–2	पी०डब्लू०–2 उपनिरीक्ष रमेश सिंह चौहान
3	चिक एफ०आई०आर०	प्रदर्श क–3	पी०डब्लू०–3 हेड कां० अखिलेश सिंह
4	कायमी जी०डी०	प्रदर्श क–4	पी०डब्लू०–3 हेड कां० अखिलेश सिंह

9. अभियोजन साक्ष्य उपरांत न्यायालय द्वारा दिनांक 19.03.2026 को बयान मुल्जिमान अंतर्गत धारा 313 दं०प्र०सं० अंकित किये गये। अभियुक्त द्वारा अपराध कारित किये जाने से इंकार किया गया और गलत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किये जाने, विवेचक द्वारा गलत आरोप पत्र प्रेषित किये जाने, अभियोजन साक्षियों द्वारा झूठी गवाही दिये जाने,

अभियोजन प्रपत्र गलत तैयार किये जाने व स्वयं को झूठा फंसाये जाने के संबंध में कथन करते हुए स्वयं को निर्दोष होना बताया है। अभियुक्त द्वारा अपने बचाव में सफाई साक्ष्य देना भी व्यक्त किया गया।

10. न्यायालय द्वारा राज्य की ओर से विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी तथा अभियुक्त की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को श्रवण किया गया।

11. अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी द्वारा न्यायालय के समक्ष तर्क रखे गये कि अभियोजन पक्ष अपने मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यों से संदेह से परे यह साबित करने में सफल रहा है कि अभियुक्त के विरूद्ध धारा-82 दं०प्र०सं० की उद्घोषणा होने के बावजूद अभियुक्त नियत तिथि पर न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ तथा अपने आप को छिपाये रखे रहा। अतः अभियुक्त को दोषसिद्ध कर दण्डित किया जाये।

12. अभियुक्तगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा न्यायालय के समक्ष तर्क रखे गये कि अभियोजन पक्ष द्वारा उसे झूँटा फंसाया गया है। मामले के सभी गवाह पुलिसकर्मी हैं। अतः उनके कथनों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। पुलिस द्वारा कोई धारा-82 दं०प्र०सं० की कार्यवाही विधिसम्मत रूप से नहीं करायी गयी है और न ही अभियुक्त को पकड़ने का प्रयास किया गया है। अभियुक्त ड्राइवरी का काम करता है, इसलिए धारा-82 दं०प्र०सं० की तामीला के समय वह उपस्थित नहीं हो सका था। इन परिस्थितियों में अभियोजन कथानक संदेहास्पद हो जाता है। अतः अभियुक्त को संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया जाये।

13. न्यायालय द्वारा उभय पक्ष के तर्कों के प्रकाश में पत्रावली तथा विधि के प्राविधानों का सम्यक् रूपेण परिशीलन किया गया।

14. अभियोजन पक्ष द्वारा अभियोजन कथानक को साबित करने के लिये जिन साक्षीगण की साक्ष्य अंकित करायी गयी है, उनमें साक्षी पी०डब्लू०-1 उपनिरीक्षक रमाकान्त शुक्ल ने अपने सशपथ बयान में कथन किये हैं कि साक्षी वर्ष 2018 में थाना खन्ना जनपद महोबा में नियुक्त रहा। नियुक्ति के दौरान थाना खन्ना में पंजीकृत मु0 अ 0 सं0 13/2018 धारा–394 भा0 दं0 सं0 बनाम 4 अज्ञात बदमाश दिनांक 30.01.2018 को पंजीकृत होकर हस्वादेश प्रभारी निरीक्षक महोदय के मुकदमा उपरोक्त की विवेचना साक्षी को प्राप्त हुई थी। साक्षी द्वारा मुकदमा उपरोक्त की विवेचना ग्रहण कर सम्पादित की गयी। दौरान विवेचना दिनांक 08.02.2018 को मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित माल मसरूका में रूपया व जेवरात व वादी के भाई व लूटा हुआ मोबाईल तथा लूट में प्रयुक्त तमंचा एवं कारतूस के साथ अभियुक्तगण जगदीश पुत्र श्यामलाल निवासी मवई बुजुर्ग थाना कोतवाली बांदा जिला बांदा 2. मुन्ना प्रजापति पुत्र चुनुबाद निवासी मवई बुजुर्ग थाना कोतवाली बांदा जिला बांदा 3. भूपेन्द्र उर्फ भूरा पुत्र झुरियां प्रजापति निवासी ग्राम सिरसीकला थाना खन्ना जिला महोबा को

गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया गया। बरामद माल मसरूका यथा रूपया एवं जेवरात तथा मोबाईल को वादी मुकदमा व पीड़ितों ने पहचाना एवं स्वयं का होना बताया। **दौरान विवेचना अभियुक्त बिन्डोला उर्फ बिन्दादीन उर्फ सूरज शर्मा उर्फ बाबा पुत्र मंगी प्रजापति निवासी ग्राम व थाना खन्ना जिला महोबा तथा अभियुक्त छंगा वल्दियत एवं पता अज्ञात का नाम प्रकाश में आया।** अभियुक्त बिन्डोला उर्फ बिन्दादीन उपरोक्त की गिरफ्तारी का प्रयास किया गया परन्तु दस्तयाव नहीं हुआ। दिनांक 12.03.2018 को अभियुक्त बिन्डोला उर्फ बिन्दादीन के विरूद्ध माननीय न्यायालय से गैर जमानती वारन्ट व दिनांक 20.03.2018 धारा–82 सीआर0पी0सी0 की आदेशिका निर्गत हुई जिसका तामीला 25.03.2018 को कराया जा चुका था। अभियुक्त बिन्डोला उर्फ बिन्दादीन उपरोक्त एक **हार्डकोर अपराधी है इसके विरूद्ध दर्जनों मामले दर्ज हैं एवं 25000/–रूपये का ईनाम भी घोषित है तथा थाना स्थानीय पर हिस्ट्रीशीटर मजारिया नं0 1 भी है।** उपरोक्त अभियुक्त स्वयं की हत्या का साजिश रचकर पुलिस रिकार्ड में अपने को मृत घोषित कर आम समाज में संगीन जुर्म कारित कर अशान्ति पैदा कर रहा था। थाना मौदहा हमीरपुर में मु0अ0सं0 596/2015 धारा–302,201 भा0दं0सं0 बनाम भगवानदीन आदि अभियुक्त बिन्डोला उर्फ बिन्दादीन की हत्या होने के बावत उसके बड़े भाई हरिदास पुत्र मंगी प्रजापति निवासी खन्ना थाना खन्ना जिला महोबा में दिनांक 16.05.2015 को पंजीकृत कराया था। तमामी **विवेचना से बिन्डोला उर्फ बिन्दादीन के जीवित होने तथा दिनांक 30.01.2018 को मु0अ0सं0 13/2018 धारा–394 भा0दं0सं0 का अभियुक्त होने की पुष्टिकारक साक्ष्य व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 411,120बी भा0दं0सं0 की बढ़ोत्तरी दिनांक 08.02.2018 को की गयी।** अभियुक्त बिन्डोला उर्फ बिन्दादीन उपरोक्त धारा–82 सीआर0पी0सी0 का इस्तहार जारी होने के पश्चात भी माननीय न्यायालय में हाजिर होने से असफल रहा। अभियुक्त बिन्डोला उर्फ बिन्दादीन उपरोक्त के विरूद्ध धारा–174ए भा0दं0सं0 का अपराध प्रमाणित होना पाया गया। दिनांक 17.05.2018 को मुझ विवेचक द्वारा थाना प्रभारी थाना खन्ना जनपद महोबा को धारा–174ए भा0दं0सं0 का अभियोग अभियुक्त बिन्डोला उर्फ बिन्दादीन के विरूद्ध पंजीकृत करने हेतु लिखित तहरीर दिया था जिस पर मु0अ0सं0 54/2018 धारा–174ए भा0दं0सं0 थाना खन्ना में दिनांक 17.05.2018 को अभियुक्त बिन्डोला उर्फ बिन्दादीन उर्फ सूरज शर्मा उर्फ बाबा पुत्र मंगी प्रजापति निवासी खन्ना थाना खन्ना जिला महोबा के विरूद्ध पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना उपनिरीक्षक श्री रमेश सिंह को दी गयी थी। विवेचक ने साक्षी का बयान लिया था। साक्षी ने पत्रावली में संलग्न कागज सं0 5क तहरीर को प्रदर्श क–1 के रूप में साबित किया है।

15. अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०–2 उपनिरीक्षक रमेश सिंह चौहान ने अपने सशपथ

बयान में कथन किया है कि साक्षी दिनांक 07.05.2018 को थाना खन्ना जनपद महोबा में उपनिरीक्षक के पद पर तैनात था। उस दिन नियुक्ति के दौरान थाना खन्ना में पंजीकृत मु0 अ0 सं0 54/2018 धारा–174 ए भा0 दं0 सं0 बनाम विन्डोला उर्फ बिन्दादीन उर्फ सूरज शर्मा उर्फ बाबा पुत्र मंगी प्रजापति निवासी ग्राम खन्ना थाना खन्ना जिला महोबा की विवेचना साक्षी को सुपुर्द हुई थी जिसमें साक्षी द्वारा दिनांक 08.05.2018 को पर्चा नं0 1 किता किया जिसमें प्रथम सूचना रिपोर्ट के तथ्य, नकल कायमी अंकित किया व बयान लेखक एफ0 आई0 आर0 कां0 अखिलेश कुमार व बयान वादी एस0 आई0 श्री रमाकान्त शुक्ला व अवलोकन एफ0 आई0 आर0 मु0 अ0 सं0–13/2018, धारा–392 भा0 दं0 सं0 बनाम 4 अज्ञात बदमाश व अवलोकन आरोप पत्र सं0 35/2018 अंकित किया। पर्चा नं0 2 दिनांक 15.05.2018 किता किया जिसमें माननीय अपर जिला जज एफ0 टी0 सी0 महोबा द्वारा धारा–82 सीआर0 पी0 सी0 विरूद्ध अभियुक्त विन्डोला उर्फ बिन्दादीन उर्फ सूरज शर्मा उर्फ बाबा आदेश की कार्यवाही का अवलोकन किया व उक्त अभियुक्त पर घोषित पुरूस्कार का अवलोकन किया, छायाप्रति आधारकार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस का अवलोकन किया। दिनांक 12.06.2018 को पर्चा नं0 3 किता किया। जिसमें अभियुक्त की गिरफ्तारी का विवरण अंकित किया व उक्त अभियुक्त विन्डोला उर्फ बिन्दादीन उर्फ सूरज शर्मा उर्फ बाबा पुत्र मंगी प्रजापति निवासी ग्राम खन्ना थाना खन्ना जिला महोबा के विरूद्ध मुकदमा उपरोक्त की विवेचना बयान वादी गवाहान व अन्य सुसंगत साक्ष्यों के आधार पर उपरोक्त पर जुर्म धारा–174 ए भा0 दं0 सं0 का अपराध बखूती साबित होने पर आरोप पत्र सं0 53/2018 दिनांक 12.06.2018 माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया। साक्षी ने पत्रावली में संलग्न कागज सं0 3 क/1 लगायत 3 क/3 आरोप पत्र प्रदर्श क–2 के रूप में साबित किया है।

16. अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०–3 हेड कां० अखिलेश सिंह ने अपने सशपथ बयान में कथन किया है कि साक्षी दिनांक 17.05.2018 को थाना खन्ना जनपद महोबा में कां0 मुहर्रिर के पद पर तैनात था। उस दिन थानाध्यक्ष के आदेश के क्रम में वादी मुकदमा उपनिरीक्षक रमाकान्त शुक्ला थाना खन्ना की तहरीर के आधार पर साक्षी द्वारा मु0 अ0 सं0 54/2018, धारा–174 ए भा0 दं0 सं0 बनाम विन्डोला उर्फ बिन्दादीन उर्फ सूरज शर्मा उर्फ बाबा पुत्र मंगी प्रजापति निवासी ग्राम खन्ना थाना खन्ना जिला महोबा के विरूद्ध एफ0 आई0 आर0 दर्ज की गयी थी। मुकदमे की विवेचना उपनिरीक्षक रमेश सिंह को आवंटित की गयी थी। साक्षी द्वारा प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना खन्ना के रोजनामचाआम की रपट सं0 28 समय 20.15 बजे दिनांक 17.05.2018 को सम्पूर्ण विवरण सी0 सी0 टी0 एन0 एस0 पर अंकित किया गया था। पत्रावली में संलग्न कागज सं0 4 क/1 लगायत 4 क/3 मूल एफ0 आई0 आर0 है, जो साक्षी द्वारा सी0 सी0 टी0 एन0 एस0 पर

टाईप कर अंकित किया गया है, जिस पर लिखे तथ्यों व उस पर बने थाना प्रभारी ज्ञानेन्द्र कुमार के हस्ताक्षर की पुष्टि करते हुए प्रदर्श क–3 के रूप में तथा पत्रावली में संलग्न कागज सं0 7क जी0 डी0 28 समय 20.15 की प्रति जो साक्षी द्वारा सी0 सी0 टी0 एन 0 एस 0 पर टाईप कर अंकित किया गया है, जिसे साक्षी ने प्रमाणित प्रदर्श क–4 के रूप में साबित किया है।

17. **उपरोक्त दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्यों के विश्लेषण से अब यह देखा जाना है कि क्या पुलिस द्वारा विधि सम्मत रूप से धारा-82 दं०प्र०सं० की कार्यवाही की गयी तथा अभियुक्त जानबूझकर अपने को छिपाये रखा और न्यायालय/पुलिस के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ?**

18. वादी मुकदमा द्वारा यह कहा गया है कि अभियुक्त के विरूद्ध दिनांक-20.03.2018 को धारा-82 दं०प्र०सं० की कार्यवाही का आदेश न्यायालय से प्राप्त किया गया। न्यायालय द्वारा जारी किया गया धारा-82 दं०प्र०सं० की कार्यवाही से सम्बन्धित कागज पत्रावली पर 13क के रूप में उपलब्ध है। पत्रावली पर उपलब्ध कागज 10क के अवलोकन से यह विदित हो रहा है कि अभियुक्त विन्दौला मुकदमा अपराध संख्या-13/2018 में 25000/-फरार इनामी घोषित था। कागज संख्या-11क दिनांकित-25.03.2018 के अवलोकन से यह विदित हो रहा है कि धारा-82 दं०प्र०सं० की कार्यवाही हेतु मुनादी करायी गयी तथा व्यक्ति हटीले को 300/-रूपये बतौर मुनादी खर्च किये गये। कागज संख्या-12क दिनांकित-25.03.2018 को अवलोकन से यह विदित हो रहा है कि उक्त दिनांक को धारा-82 दं०प्र०सं० की तामीला हेतु फर्द बनायी गयी जिसमें गवाह हरिदास व भगवानदीन की हस्ताक्षर कराये गये। कागज संख्या-14क न्यायालय के समक्ष विवेचक द्वारा धारा-82 दं०प्र०सं० की आदेशिका जारी करने हेतु प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिस पर न्यायालय द्वारा दिनांक-20.03.2018 को कागज संख्या-13क से धारा-82 दं०प्र०सं० की आदेशिका जारी की गयी। अभियुक्त धारा-82 दं०प्र०सं० की मुनादी दिनांकित-25.03.2018 में न्यायालय के समक्ष वर्णित दिनांक-19.04.2018 तक न तो न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ और न ही पुलिस के समक्ष उपस्थित हुआ। अभियुक्त की गिरफ्तारी दिनांक-08.06.2018 को हुई। अभियुक्त किस कारण से धारा-82 दं०प्र०सं० की उद्घोषणा के उपरान्त न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ, इस सम्बन्ध में अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत स्पपष्टीकरण कि वह धारा-82 दं०प्र०सं० के तामीला के समय ट्रक चलाने के काम के कारण वह अन्य जगह था, इसलिए धारा-82 दं०प्र०सं० की कार्यवाही के समय उपस्थित नहीं हुआ, पर्याप्त स्पष्टीकरण नहीं माना जा सकता।

19. इन परिस्थितियों में यह स्पष्ट हो रहा है कि अभियुक्त विन्दौला उर्फ विन्दादीन न्यायालय द्वारा धारा-82 दं०प्र०सं० की उद्घोषणा के अपेक्षानुसार विनिर्दिष्ट स्थान व

विनिर्दिष्ट समय पर हाजिर होने में असफल रहा है, जो अपराध अन्तर्गत धारा-174 ए भा०दं०सं० के अन्तर्गत दण्डनीय है। अतः अभियुक्त विन्दौला उर्फ विन्दादीन उर्फ सूरज शर्मा अपराध अन्तर्गत धारा-174 ए भा०दं०सं० हेतु दोषसिद्ध किये जाने योग्य है।

आदेश

विशेष वाद संख्या-52/2018, मु०अ०सं०-54/2018 अन्तर्गत धारा-174 ए, भा०दं०सं० थाना खन्ना, जिला महोबा के प्रकरण में अभियुक्त बिन्डोला उर्फ बिन्दादीन उर्फ बाबा उर्फ सूरज शर्मा पुत्र मंगी प्रजापति निवासी खन्ना, थाना खन्ना, जिला महोबा को उस पर लगे अपराध आरोप अन्तर्गत धारा-174 ए भा०दं०सं० हेतु दोषसिद्ध किया जाता है।

अभियुक्त प्रस्तुत प्रकरण में जमानत पर हैं तथा अभियुक्त आज न्यायालय के समक्ष उपस्थित है। अतः अभियुक्त विन्दौला उर्फ विन्दादीन उर्फ सूरज शर्मा को दोषसिद्ध अपराध हेतु न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाता है तथा उसके विचारण काल के जमानतनामों को निरस्त करते हुए प्रतिभुओं को उनके जमानत सम्बन्धी दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्त को सजा के बिन्दु पर सुना जाना आवश्यक है। अतः पत्रावली सजा के बिन्दु पर सुनवाई हेतु दिनांक-31.07.2026 को प्रस्तुत हो। नियत दिनांक को अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष उपस्थित रखा जाए।

दिनांक-29.07.2026 (ध्रुव राय)
अपर सत्र न्यायाधीश, (कोर्ट नं०-1)/
विशेष न्यायाधीश, दस्यु प्रभावित क्षेत्र अधिनियम
महोबा, UP02402

31.07.2026

पत्रावली दिनांक-29.07.2026 को पारित आदेश के अनुक्रम में दण्ड के बिन्दु पर सुनवाई हेतु प्रस्तुत हुई। दोषसिद्ध विन्दौला उर्फ विन्दादीन उर्फ सूरज शर्मा न्यायिक अभिरक्षा में जिला उपकारागार महोबा से उपस्थित है। दोषसिद्ध को सजा के बिन्दु पर पूर्व आदेश के अनुक्रम में सुना गया।

दोषसिद्ध विन्दौला द्वारा कहा गया है कि वह 40 वर्षीय शादी-शुदा पुरूष है। उसका 9 वर्षीय बेटा व 6 माह की बेटी है तथा वृद्ध मां है, पिता जीवित नहीं हैं। समस्त लोग उस पर आश्रित हैं, जिनका भरण-पोषण वह ट्रक ड्राइवरी करके करता है। दोषसिद्ध के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कहा गया है कि यह उसका प्रथम दोषसिद्ध अपराध है। दोषसिद्ध पर अपने बच्चों व वृद्ध माता के पालन-पोषण की जिम्मेदारी है। अतः दोषसिद्ध को कम से कम दण्ड से दण्डित किया जाये।

अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा व्यक्त किया गया कि दोषसिद्ध विन्दौला उर्फ विन्दादीन न्यायालय द्वारा धारा-82 दं०प्र०सं० की उद्घोषणा के अपेक्षानुसार विनिर्दिष्ट स्थान व विनिर्दिष्ट समय पर हाजिर होने में असफल रहा है जिसके लिए दोषसिद्ध को आरोप अन्तर्गत धारा-174 ए भा०दं०सं० हेतु दोषी पाया गया है। अतः अपराध की प्रकृति व अपराध कारित करने में साबित दोषसिद्ध की भूमिका को देखते हुए दोषसिद्ध को कठोर से कठोर दण्ड से दण्डित किया जाना आवश्यक है, ताकि समाज में संदेश पहुंच सके कि अपराध कारित करने का परिणाम केवल कठोर दण्ड ही होता है।

न्यायालय द्वारा उभय पक्ष के तर्कों के प्रकाश में दण्ड के बिन्दु पर विचार किया गया।

दोषसिद्धगण द्वारा किये गये अपराध का उपरोक्त विश्लेषण करते हुए न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध विन्दौला उर्फ विन्दादीन उर्फ सूरजा शर्मा को आरोप अन्तर्गत धारा-174 ए भा०दं०सं० हेतु दोषी पाया गया है। अतः दोषसिद्ध की अपराध में संलिप्तता व उसके ऊपर आश्रित लोगों की स्थिति को देखते हुए एवं मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए तथा अपराध की प्रकृति एवं उसके समाज पर पड़ने वाले प्रभाव को देखते हुए विशेष वाद संख्या-52/2018, मु०अ०सं०-54/2018, थाना खन्ना, जिला महोबा के प्रकरण में दोषसिद्ध विन्दौला उर्फ विन्दादीन उर्फ बाबा उर्फ सूरज शर्मा को अन्तर्गत धारा-174 ए भा०दं०सं० 02 (दो) वर्ष के कारावास व 1,000/-(एक हजार रूपये) अर्थदण्ड से तथा अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में 15 दिन के अतिरिक्त साधारण कारवास से दण्डित किया जाता है तो इससे न्याय की मंशा पूर्ण होना दर्शित होती है। तदानुसार ही दोषसिद्ध दण्डित होने योग्य हैं।

दण्डादेश

विशेष वाद संख्या-52/2018, मु०अ०सं०-54/2018 थाना खन्ना, जिला महोबा के प्रकरण में दोषसिद्ध विन्दौला उर्फ विन्दादीन उर्फ बाबा उर्फ सूरज शर्मा पुत्र मंगी प्रजापति निवासी खन्ना, थाना खन्ना, जिला महोबा, उ०प्र० को अन्तर्गत धारा-174 ए भा०दं०सं० 02 (दो) वर्ष के कारावास व 1,000/-(एक हजार रूपये) अर्थदण्ड से तथा अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में 15 दिन के अतिरिक्त साधारण कारवास से दण्डित किया जाता।

दोषसिद्ध द्वारा सम्बन्धित प्रकरण में जेल में बिताई गई अवधि धारा-428 दं0 प्र 0 सं0 के प्राविधान के अनुसार सजा की अवधि में समायोजित होगी। दोषसिद्ध का सजायावी वारण्ट सम्बन्धित प्रकरण में नियमानुसार तैयार कर जिला उप कारागार महोबा प्रेषित हो।

निर्णय की प्रति दोषसिद्ध को नियमानुसार निशुल्क प्रदान की जाये।

इस प्रकरण से सम्बन्धित बरामदशुदा माल, यदि कोई हो, अपील अवधि तक सुरक्षित रखा जाये। अपील न होने की स्थिति में, अपील अवधि के उपरान्त, किसी अन्य विचारण में वांछित न होने पर बरामदशुदा माल का निस्तारण नियमानुसार सुनिश्चित हो तथा अपील होने की स्थिति में बरामदशुदा माल का निस्तारण माननीय अपील न्यायालय के आदेशानुसार तथा किसी अन्य न्यायालय में बरामदशुदा माल वांछित होने पर सम्बन्धित सक्षम न्यायालय के आदेशानुसार माल का नियमानुसार निस्तारण सुनिश्चित हो।

दिनांक-31.07.2026

(ध्रुव राय)
अपर सत्र न्यायाधीश, (कोर्ट नं०-1)/
विशेष न्यायाधीश, दस्यु प्रभावित क्षेत्र अधिनियम
महोबा, UP02402

यह निर्णय आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांक-31.07.2026

(ध्रुव राय)
अपर सत्र न्यायाधीश, (कोर्ट नं०-1)/
विशेष न्यायाधीश, दस्यु प्रभावित क्षेत्र अधिनियम
महोबा, UP02402

Digitally signed by DHRUVA RAI
Date: 2026.07.31 17:18:01 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court